

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक03 / वि.स. / सं.-1 / 2018

रायपुर, दिनांक 15/3/2018

// निविदा आमंत्रण //

विधानसभा सचिवालय हेतु फर्नीचर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय हेतु ब्रान्डेड कम्पनी (गोदरेज, स्टेलर्स, मेथोडेक्स, बॉनटॉन आदि) अथवा समतुल्य निर्माताओं एवं अधिकृत विक्रेताओं से बुक सेल्फ ग्लास डोर, ग्लास डोर आलमारी, स्टील आलमारी, स्टील एंगल रैक, कम्प्यूटर टेबल, कम्प्यूटर चेयर, हाईबेक रिवाल्विंग चेयर, हॉफ ग्लास डोर क्रय किया जाना प्रस्तावित है । जिसके संबंध में निविदा प्रस्ताव दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं । निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । निविदा की विस्तृत जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. निविदाकर्ता को अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
2. लगभग 80 नग बुक सेल्फ ग्लास डोर (04 खण्ड 64" (H) X 32" (W) X 12" (D)), 30 नग ग्लास डोर आलमारी (05 खण्ड 77" (H) X 36" (W) X 19" (D)), 15 नग स्टील आलमारी (05 खण्ड 78" (H) X 36" (W) X 19" (D)), 20 नग स्टील एंगल रैक (05 खण्ड 78" (H) X 36" (W) X 17" (D)), 15 नग कम्प्यूटर टेबल, 15 नग कम्प्यूटर चेयर, 10 नग हाईबेक रिवाल्विंग चेयर, हाफ ग्लास डोर बुक केस क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
3. प्रत्येक सामग्री की दर तथा उस पर देय कर का स्पष्ट उल्लेख हो ।
4. दरों की वैधता अवधि उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव देना होगा ।
5. निविदाकर्ता डी.जी.एस. एण्ड डी. या Gem की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।
6. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
7. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
8. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि रूपये में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
9. सामग्री के नमूने का प्रदर्शन क्रय समिति के समक्ष विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचित करने पर निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा ।
10. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सही/चालू हालत में सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।
11. आदेशित सामग्री निविदा में उल्लेखित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
12. निविदाकर्ता संस्था को प्रदाय सामग्री की वारंटी अवधि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से करना होगा ।

13. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक-बी-7 के पास दिनांक 20 अप्रैल, 2018 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
14. निविदा को मान्य या अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
15. किसी भी विवाद पर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.